समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक– 1215 /रा०

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

दिनांक 17/12/2020

विषयः– स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त गैर–वनभूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1236, दिनांक–06.10.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू व्याघ्र आरक्ष, मेदिनीनगर के बारेसाढ़ प्रक्षेत्र में कोर क्षेत्र में बसे वन ग्राम कुजरूम एवं लादू को पलामू व्याघ्र आरक्ष की परिधि से बाहर पुनर्स्थापित किए जाने निमित्त वन भूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों की सहमति से वन ग्राम को स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु लातेहार जिला अंतर्गत गारू अंचल के मौजा लाई–पैलापत्थल में 47 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित किया गया है। उक्त संदर्भ में लातेहार जिला अंतर्गत वन ग्राम से स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त गैर–वनभूमि उपलब्ध नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
उपायुक्त, लातेहार।

(मुहर) 2784 28/12/2020

Mukesh Kumar
I.F.S.
Deputy Director
Palamau Tiger Project
South Division, Medininagar

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(राजस्व शाखा)

Phone No-06562-228008
email.id-officeadditional@gmail.com

पत्रांक 929 /रा0, दिनांक 24/7/2020

प्रेषक,

उपायुक्त,
पलामू।

सेवा में,

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :– दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू व्याघ्र आरक्ष, मेदिनीनगर के कोर क्षेत्र से वनग्राम के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–715, दिनांक–09.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू व्याघ्र आरक्ष, मेदिनीनगर के कोर क्षेत्र से वनग्राम के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–881, दिनांक–06.07.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर से वन भूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि के अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा अपने पत्रांक–426, दिनांक–10.07.2020 से प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का में उपलब्ध राजस्व कागजात एवं भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पूरे अंचल अन्तर्गत सुरक्षित वन भूमि 568.10 एकड़ के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि नहीं है।

अतः उक्त जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

उपायुक्त,
पलामू।

31/8/20

Mukesh Kumar
I.F.S.
Deputy Director
Palamau Tiger Project
South Division, Medininagar

Deputy Director
Palamau Tiger Project
South Division